कार्यालय जिला कलक्टर अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 47/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रमेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल टेलर निवासी वीर बजरंग चौक, वार्ड नं0 15, बैंक रोड़ गंगापुर, जिला भीलवाडा —अपीलार्थी	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी स्वयं उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 23/05/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा के विरूद्ध दिनांक 08/05/2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 100/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एच 864908 प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.03.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 12/05/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान् को सूचना पत्र जारी किये गये। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने दिनांक 22.05.2017 से अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए यह अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.03.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 के बिन्दु संख्या 1 से 3 में वर्णित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033—36 उपलब्ध है परन्तु जीर्ण—शीर्ण होने के कारण प्रार्थी को उक्त जमाबन्दी के बजाय आराजी नं0 2740 के नामान्तरकरण सं0 854 दिनांक 14.02.1979 एवं नामान्तरकरण पर चस्पा तरमीम शुदा नक्शा ट्रेस की नकल 2—2 प्रतियों में उपलब्ध करा दी गई । अपीलान्ट के द्वारा 10/— रूपये शुल्क के स्थान पर 100/—

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रूपये का आइ0पी0ओ0 संलग्न किया है जिसे पुनः अपीलान्ट को लौटाने हेतु जवाब के साथ संलग्न किया है तथा नकलें नामान्तरकरण एवं नक्शा ट्रेस की जारी की उन पर लैण्ड रेकार्ड रूल्स के अनुसार प्रत्येक नकल पर 20/– रूपये के हिसाब से कुल 80/– रूपये के टिकिट लगा जारी की गई। जो लिपिक की अनभिज्ञता से जारी की गई। पुनः अपीलान्ट को शेष राशि 72/– रूपये के कॉपिंग टिकिट लौटाये जाने हेतु जवाब के साथ संलग्न किए हैं। अपीलान्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना सम्बन्धि सर्जित होते हुए भी नहीं दी गई। अतः अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रस्तुत अपील पर समुचित निर्णय फरमाते हुए सूचित करावें।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी को सुना गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दु संख्या 01 व 02 में तत्कालीन जमाबन्दी व आ0नं0 2740 के विभाजित नम्बरों की नकल जमाबन्दी की नकल। बिन्दु संख्या 03 में प0म0मैलोनी खेड़ा में गोपी पिता सवाईराम गुर्जर को खसरा नं0 2740/4 दिनांक 30.12. 1978 को हुए आवंटन के खातेदार होने की प्रति । प्रत्यर्थी के द्वारा अपने जवाब में बिन्दु संख्या 01 में अंकित नकल जमाबन्दी प0म0मैलोनी खेड़ा सम्वत्2033–36 की जीर्ण–शीर्ण होने से इसके स्थान पर नामान्तरकरण की नकल जारी की गई। नक्शा ट्रेस एवं नामान्तरकरण की नकल समयावधि में उपलब्ध करवाई गई। यदि दस्तावेज का अवलोकन कराया था तो अन्य दस्तावेज की नकल जारी करने के सम्बन्ध में अपीलान्ट से सहमति का प्रार्थना पत्र लिया जाना चाहिए था परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। साथ ही अपीलान्ट को सूचना के अधिकार के तहत नकलें जारी नहीं कर लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के तहत जारी की गई जबकि अपीलान्ट का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत था ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में अंकित दर के अनुसार ही प्रत्यर्थी द्वारा शुल्क लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन युक्तियुक्त होना प्रतीत नहीं होता है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा सूचना का अधिकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप अपीलार्थी को वांछित सूचना के लिए अभिलेख का निरीक्षण कराया जाकर जो भी सूचना उपलब्ध हो उसे निःशुल्क सूचना आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में उपलब्ध कराई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23/05/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा